an>

title: Need to release allocated share of water to Rajasthan as under pact of Punjab, Haryanan and Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे क्षेत्र में 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का पानी पर समझौता हुआ था। इसके तहत 8.60 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को मिलना था। उसके अंदर 2.44 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचित करना था। पंजाब ने हरियाणा को आज तक 0.60 एम.ए.एफ. पानी नहीं दिया। उसके कारण प्रॉब्लम यह हुई कि ज़मीन घटकर 1.22 लाख हेक्टेयर रह गयी। तारनगर, सरदारशहर और राजगढ़ के किसानों की ज़मीनें घटी। उसके कारण लोग आज भी धरना-प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। स्थिति यह बनी हुई है कि आज सरकार से वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी मुश्किल हो रही है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार के मार्फत हमारा बचा हुआ 0.60 एम.ए.एफ. पानी जल्द से जल्द रिलीज कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री चन्दू प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर और

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।